न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –14/2018 एवं 15/2018 जिला दौसा

मोहन लाल पुत्र रामकिशोर दत्तक पुत्र श्री नारायण उर्फ श्रीया, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्रम संवास, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी संवास, तहसील सिकराय, जिला दौसा (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , तहसील सिकराय, जिला दौसां ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 21.3.2018 बाबत तहसीलदार सिकराय के निर्णय दिनांक 6.2.2012 एवं नामांतरकरण संख्या 403 दिनांक 14.2.2012

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री मुकेश शर्मा
2. राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय

दिनांक– 15.1.2019

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर दौसा के पृथक पृथक दो निर्णय दिनांक 21.3.2018 के खिलाफ पृथक पृथक प्रस्तुत हुई है । दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम संवास, तहसील सिकराय, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 93/2 व 94/1 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा का खातेदार श्रीया पुत्र भूरा हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण था । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 अशोक कुमार द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिकराय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि मृतक श्री नारायण द्वारा मृत्यु दिनांक 3.10.2008 से पूर्व दिनांक 2.10.2008 को प्रार्थी के हक में अन्तिम इच्छा पत्र लिखवाया था जिसके आधार पर न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांदीकुई द्वारा प्रार्थी को मृतक श्री नारायण का उत्तराधिकारी मानते हुए प्रार्थी के हक में प्रोबेट जारी किया गया है । अतः मुताबिक प्रोबेट प्रार्थी के हक में संवास की सम्पत्ति का नामांतरकरण खोला जावे । तहसीलदार सिकराय ने प्रार्थना पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, अंतिम इच्छा पत्र एवं माननीय न्यायालय ए.डी.

जे. बांदीकुई के निर्णय दिनांक 9.11.2011 एवं प्रोबेट प्रमाण पत्र की छाया प्रति के अवलोकन के बाद न्यायालय के निर्णय अनुसार ग्रम संवास के खसरा नम्बर 93/2 एवं 94/1 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा में मृतक श्री नारायण का 1/2 हिस्सा होने एवं श्री नारायण की जायदाद को किसी अन्य के पक्ष में वसियत करना भी प्रकट नहीं होने से, प्रार्थी के पक्ष में की गई वसियत को मृतक के जीवनकाल में निरस्त या परिवर्तन भी नहीं किया है साथ ही निर्णय में मृतक श्रीनारायण की जायदाद के संबंध में जारी वसियत हेतु प्रोबेट जारी करने का करार दिया गया है । माननीय न्यायालय द्वारा वसियत के संबंध में प्रोबेट प्रमाण पत्र दिनांक 9.1.2012 को जारी किया जा चुका है । अतः माननीय न्यायालय के निर्णय एवं प्रोबेट प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक श्रीनारायण की खातेदारी कृषि भूमि का नामांतरकरण प्रार्थी अशोक कुमार के पक्ष में खोलकर स्वीकृत करने के आदेश तहसीलदार सिकराय द्वारा दिनांक 6.2.2012 को पारित किये हैं ।

उक्त भूमि के खातेदार श्रीया पि. भूरा की विरासत का नामांतरकरण संख्या 403 दिनांक 14.2.2012 को तहसीलदार सिकराय द्वारा माननीय न्यायालय ए.डी.जे. बांदीकुई के निर्णय , प्रोबेट प्रमाण पत्र एवं तहसीलदार सिकराय के आदेश की पालना में रेस्पोंडेन्ट अशोक कुमार दत्तक पुत्र श्रीया उर्फ श्रीनारायण हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण के नाम स्वीकृत किया गया है ।

तहसीलदार सिकराय के उक्त निर्णय दिनांक 6.2.2012 एवं नामांतरकरण संख्या 403 दिनांक 14.2.2012 से व्यथित होकर अपीलांट मोहन लाल पुत्र रामकिशोर दत्तक पुत्र श्री नारायण उर्फ श्रीया द्वारा पृथक पृथक प्रथम अपीलें न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.3.2018 द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांदीकुई द्वारा दिनांक 9.11.2011 को प्रोबेट जारी करने के आदेश पारित कर दिनांक 9.1.2012 को प्रोबेट प्रमाण पत्र रेस्पोंडेन्ट नं. 01 के हक में जारी करने पर उक्त प्रोबेट के आधार पर तहसीलदार सिकराय द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के हक में तहसीलदार सिकराय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.2.2012 पारित किये जाने एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 403 दिनांक 14.2.2012 ग्रम संवास तहसील सिकराय तस्दीक किये जाने से उनमें कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाये जाने से दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की गई तथा स्थगन आदेश दिनांक 14.2.2012 भी निरस्त किया ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम संवास स्थित भूमि खसरा नम्बर 93/2, 94/1 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा में से 1/2 हिस्से के खातेदार श्रीनारायण की मृत्यु दिनांक 3.10.2008 से एक दिवस पूर्व फर्जी वसियत तैयार कर फर्जी वसियत पर न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांदीकुई से प्रोबेट प्रमाण पत्र दिनांक 9.1.2012 जारी करवाया जाकर उक्त प्रोबेट प्रमाण पत्र के आधार पर तहसीलदार सिकराय से आदेश दिनांक 6.2.2012 पारित करवा कर

नामांतरकरण संख्या 403 दिनांक 14.2.2012 तस्दीक करवा लिया । उक्त फर्जी वसियत के आधार पर पारित आदेश एवं तस्दीक नामांतरकरण निरस्त योग्य है । उनका कहना था कि मृतक श्रीनारायण द्वारा दिनांक 24.7.1991 को ही अपीलान्ट के हक में एक वसियत पत्र उप पंजीयक सिकराय से पंजीकृत करवाया था । उनका कहना था कि न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांदीकुई के न्यायालय से दिनांक 9.1.2012 को जारी किये गये प्रोबेट प्रमाण पत्र को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित नहीं कर अपने निर्णय दिनांक 8.12.2016 से प्रोबेट को रि–कॉल करने हेतु न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांदीकुई के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी जिसके संदर्भ में अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांदीकुई के समक्ष प्रोबेट को रि–कॉल करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जो विचाराधीन है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के खिलाफ पुलिस थाने में मामला लम्बित होने तथा मुकदमें विचाराधीन होने , तथा अंतिम इच्छा पत्र जो रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के हक में लिखा गया था, फर्जी होने की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को भली भांति थी । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.1.2012 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नामांतरकरण के बाबत सुनवाई का अवसर दिये जाने का निवेदन किया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तथा बिना सुनवाई किये एक तरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अपीलान्ट के पास मृतक श्रीया रहता था तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त समस्त कियाकर्म अपीलान्ट द्वारा ही किये गये थे तथा दिनांक 14.10.2008 को मृतक की पगडी भी पंचगणों के सामने अपीलान्ट के ही बंधी थी । अपीलान्ट के हक में की गई रजिस्टर्ड वसियत को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिक नहीं होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर दौसा दिनांक 21.3.2018 निरस्त किये जावे । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2015 (2) आर. आर.टी. 1434, आर.आर.टी. 2006 (2)पेज 923, आर.आर.टी. 2001 (2) पेज 900, आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 592, आर.आर.टी. 2009 (1) पेज 500, आर.आर.टी. 2011(2) पेज 1138 एवं आर.आर.टी. 2012(1) पेज 520 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 अशोक कुमार की ओर से कोई हाजिर नहीं आये । रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान दोनों अपीलों का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि खातेदार श्रीया पि. भूरा की विरासत के संबंध में माननीय न्यायालय ए.डी.जे. बांदीकुई के निर्णय , प्रोबेट प्रमाण पत्र के आधार पर तहसीलादार सिकराय ने प्रश्नगत आदेश दनांक 6.2.201 पारित कर नामांतरकरण संख्या 403 दिनांक

14.2.2012 रेस्पोंडेन्ट अशोक कुमार दत्तक पुत्र श्रीया उर्फ श्रीनारायण हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण के नाम स्वीकृत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.3.2018 द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांदीकुई द्वारा दिनांक 9.11.2011 को प्रोबेट जारी करने के आदेश पारित कर दिनांक 9.1.2012 को प्रोबेट प्रमाण पत्र रेस्पोंडेन्ट नं. 01 के हक में जारी किया है जिसके आधार पर तहसीलदार सिकराय ने आदेश दिनांक 6.2.2012 एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 403 दिनांक 14.2.2012 ग्रम संवास तहसील सिकराय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हुये दोनों अपील खारिज की है, जो उचित एवं विधिक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण केअभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाद मृतक खातेदार श्रीनारायण उर्फ श्रीया की विरासत का है। तहसीलदार सिकराय ने प्रार्थना पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, अंतिम इच्छा पत्र एवं माननीय न्यायालय ए.डी.जे. बांदीकुई के निर्णय दिनांक 9.11.2011 एवं प्रोबेट प्रमाण पत्र की छाया प्रति के अवलोकन के बाद न्यायालय के निर्णय अनुसार ग्रम संवास के खसरा नम्बर 93/2 एवं 94/1 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा में मृतक श्रीनारायण का 1/2 हिस्सा होने एवं श्रीनारायण की जायदाद को किसी अन्य के पक्ष में वसियत करना भी प्रकट नहीं होने से , प्रार्थी के पक्ष में की गई वसियत को मृतक के जीवनकाल में निरस्त या परिवर्तन भी नहीं किया है, साथ ही निर्णय में मृतक श्रीनारायण की जायदाद के संबंध में जारी वसियत के संबंध में प्रोबेट जारी करने का करार दिया गया है । माननीय न्यायालय द्वारा वसियत के संबंध में प्रोबेट प्रमाण पत्र दिनांक 9.1.2012 को जारी किया जा चुका है । अतः माननीय न्यायालय के निर्णय एवं प्रोबेट प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक श्रीनारायण की खातेदारी कृषि भूमि का नामांतरकरण प्रार्थी अशोक कुमार के पक्ष में खोलकर स्वीकृत करने का आदेश दिनांक 6.2.2012 को पारित किया तथा खातेदार श्रीया पि. भूरा की विरासत का नामांतरकरण संख्या 403 दिनांक 14.2.2012 को तहसीलदार सिकराय द्वारा माननीय न्यायालय ए.डी.जे. बांदीकुई के निर्णय , प्रोबेट प्रमाण पत्र एवं तहसीलदार सिकराय के आदेश की पालना में रेस्पोंडेन्ट अशोक कुमार दत्तक पुत्र श्रीया उर्फ श्रीनारायण हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण के नाम स्वीकृत किया गया है । तहसीलदार सिकराय के उक्त निर्णय दिनांक 6.2.2012 एवं नामांतरकरण संख्या 403 दिनांक 14.2.2012 से व्यथित होकर अपीलांट मोहन लाल पुत्र रामकिशोर दत्तक पुत्र श्री नारायण उर्फ श्रीया द्वारा पृथक पृथक अपीलें न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई , जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.3.2018 से न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांदीकुई द्वारा दिनांक 9.11.2011 को प्रोबेट जारी करने के आदेश पारित कर दिनांक 9.1.2012 को प्रोबेट प्रमाण पत्र रेस्पोंडेन्ट नं. 01 के हक में जारी करने पर उक्त

प्रोबेट के आधार पर तहसीलदार सिकराय द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के हक में तहसीलदार सिकराय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.2.2012 पारित किये जाने एवं प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 403 दिनांक 14.2.2012 ग्रम संवास तहसील सिकराय तस्दीक किये जाने में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाये जाने से दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की गई तथा स्थगन आदेश दिनांक 14.2.2012 भी निरस्त किया है । प्रकरण में मृतक खातेदार श्रीया उर्फ श्रीनारायण द्वारा की गई वसियत के संबंध में न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांदीकुई द्वारा निर्णय दिनांक 9.11.2011 से प्रोबेट जारी करने के पारित आदेश एवं दिनांक 9.1.2012 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के हक में जारी किये गये प्राबेट प्रमाण पत्र के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 8.12.2016 से प्रोबेट को रि–कॉल करने हेतु न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांदीकुई के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान किये जाने पर अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांदीकुई के समक्ष प्रोबेट को रि–कॉल करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना एवं प्रकरण विचाराधीन होना बताया गया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.3.2018 से न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांदीकुई द्वारा प्रोबेट जारी करने के एवं प्रोबेट प्रमाण पत्र जारी करने , के आधार पर तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवं प्रश्नगत नामांतरकरण में कोई त्रुटि होना नहीं मानते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की है, जो उचित एवं विधिक है । प्रकरण में मृतक खातेदार श्रीया उर्फ श्रीनारायण द्वारा की गई वसियत के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 8.12.2016 से प्रोबेट को रि–कॉल करने पर प्रकरण न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांदीकुई के समक्ष विचाराधीन होना बताया गया है । वसियत का तथ्य विधि एवं तथ्य का जटिल प्रश्न है जो नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में राजस्व न्यायालय द्वारा तय नहीं हो सकता । पक्षकारन के हक हकूकों का निर्धारण न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बांदीकुई में विचाराधीन वाद में ही तय होगा एवं वाद के निर्णय के अनुसार ही नामांतरकरण तय होगा । प्रकरण सिविल प्रकृति का होने एवं पक्षकारान के मध्य प्रकरण सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने की स्थिति में हम अपीलाधीन दोनों निर्णय अति. कलक्टर दौसा दिनांक 21.3.2018 में कोई

हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है । परिणामस्वरूप दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर